

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर छीपाबड़ौद
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ केम्प कोर्ट) कैम्प

-:: आदेश :: -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ^{श्री राजेश कुमार} व भू.अ.नि. ^{श्री राजेश कुमार} की रिपोर्ट तथा तहसीलदार छीपाबड़ौद/नायब तहसीलदार ^{श्री राजेश कुमार} की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ^{झालोजी} तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् ^{२०७२-७५} में खाता संख्या ^{१५३} में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	झालोजी	१५३	हरेचिंह पुत्र जाटप्रविष्टि दि-०७/३-५२२दिहं प्रप्र दिहं विप्रत दिहं पुत्र मोहीदिहं दि-०८/१५ शिशु बाला उफ्री मोहीदिहं मुल्तान ककर देवा मोहीदिहं दि-२/१५ दि- वह ककर राजप्रत सा-३६	शिशु बाला के स्थान पर शिशुबाला उफ्री मोहीदिहं ककर किया जावे शोध स्वतंत्राशन बराहुर रहेगा।

(~~हिरालाल वर्मा~~)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद

दिनांक :- २७/१/७

क्रमांक :- ११७/३५९

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार ^{श्री राजेश कुमार} को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड के अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
२. प्रार्थी श्री ^{शिशु बाला उफ्री मोहीदिहं ककर पुत्री} को सूचनार्थ।
३. रक्षित पत्रावली। ^{मोहीदिहं राजप्रत सा-३६}

(~~हिरालाल वर्मा~~)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन